न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या – 07 / 2020

1– श्री महावीर प्रसाद जैन
2– श्री शांतिलाल जैन
पुत्रगण श्री रोकडचन्द जैन जाति महाजन, निवासी ग्राम रामगढ, तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– श्री घीसा सिंह पुत्र श्री गोकल सिंह मृतक जरिये वारिसान
1 / 1– सोनी पत्नि स्व0 श्री घीसा सिंह
1 / 2– श्री किशोर पुत्र स्व0 श्री घीसा सिह
1 / 3– संतोष
1 / 4– गीता
1 / 5– इन्द्रा
1 / 6– गोमी
पुत्रियां स्व0 श्री घीसा सिंह
2– श्री नन्द सिंह पुत्र श्री गोकल सिंह
3– श्री मल्ला सिंह पुत्र श्री गोकल सिंह मृतक जरिये वारिसान
3 / 1– मेणी पत्नि स्व0 श्री मल्ला सिंह
3 / 2– श्री रणजीत
3 / 3– श्री तेजू
पुत्रगण स्व0 श्री मल्ला सिंह
3 / 4– गायत्री
3 / 5– भगुड़ी
3 / 6– माया
पुत्रियां श्री मल्ला सिंह
समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम बालोता का बाड़िया, तहसील मसूदा, जिला अजमेर
4– ग्राम पंचायत रामगढ जरिये सरपंच तहसील मसूदा जिला अजमेर
5– श्री नोरत शर्मा पुत्र श्री नन्दलाल जाति ब्राम्हण, निवासी ग्राम रामगढ, तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थिति –
1. श्री राकेश अरोड़ा वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री हसन खान वकील अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

आदेश

दिनांक 06.05.2022

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री धीसा सिंह, श्री नन्द सिंह व श्री मल्ला सिंह पुत्रगण श्री गोकल सिंह, जाति रावत निवासी ग्राम बोलोता का बाडिया, तहसील मसूदा जिला अजमेर द्वारा ग्राम पंचायत रामगढ के समक्ष आबादी भूमि का बापी पट्टा लेने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली क्रमांक 15 दिनांक 08.09.1990 निर्मित की जाकर पूर्ण वैधानिक कार्यवाही के पश्चात दिनांक 08.09.1990 को प्रार्थीगण के पक्ष मे 5984 वर्गगज का आबादी का बापी पट्टा जारी कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में जारी पत्रावली क्रमांक 15 दिनांक 08.09.1990 की पालना में दिनांक 08.09.1990 को जारी आक्षेपीय पट्टे से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। निगरानी पेश होने पर रेस्पोन्डन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का वांछित रेकॉर्ड मंगवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। रेस्पो0 संख्या 4 जरिये वकील उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी 1 से 3 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ ने पत्र क्रमांक/GPP/2017–2018/2 दिनांक 15.04.2017 से वांछित रेकॉर्ड ग्राम पंचायत रामगढ में उपलब्ध नहीं होने बाबत अवगत करवाया। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर निगरानी गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि तहसील ब्यावर के ग्राम रामगढ स्थित खसरा नंबर 1524 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि का आवंटन विधिवत रूप से दिनांक 06.09.1984 को प्रार्थीगण के पिता रोकड़चन्द जैन के पक्ष में वास्ते चाह लीज जारी की गई है। उक्त लीज के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा चाह निर्माण कर उक्त चाह से अपनी खातेदारी भूमि को सिंचाई कर विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। उन्होने कथन किया कि उक्त खसरा नम्बर में से शेष भूमि रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा दिनांक 15.10.1984 को ग्राम पंचायत रामगढ के नाम नामान्तरकरण संख्या 112 से खसरा संख्या 1524/4226 अंकन कर आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को संभलायी जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा अवैधानिक रूप से प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में आवंटित भूमि में अप्रार्थी व अन्य के वारिसान के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आक्षेपीय पट्टे की आराजियात में से नीहित 1/3 हिस्सा का बेचान अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में दिनांक 27.11.2009 को जरिये बयनामा कर दिया गया है जो कि अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से एक ही परिवार के सदस्यों को पृथक–पृथक रूप से आबादी भूमि बापी पट्टा जारी कर दिया गया है जबकि एक परिवार के मुखिया के पक्ष में ही बापी पट्टा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैधानिक रूप से प्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे आवंटित आराजियात को स्वयं के व अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवाने की नीयत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत बापी पट्टा जारी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अप्रार्थी एवं उनके वारिसान की जांच किये तथा बिना प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये अवैधानिक रूप से नियमों

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

के विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य पारिवारिक सदस्यों के नाम प्रार्थीगण के पक्ष में आवंटित आराजियात खसरा संख्या 1524 में बापी पट्टा जारी किये जाने में अवैधानिक त्रुटि कारित की गई ना कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनाधिकृत रूप से आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया है जो किसी भी रूप से प्रमाणित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 140 से 150 के अनुसरण में पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु नीहित आराजियात के बाबत ही पट्टा जारी किया जा सकेगा अथवा उक्त भूमि के सभी विक्रय संधारण तथा नीलामी के माध्यम से किये जावेंगे तथा जब तक ऐसा न करने के विशेष कारण न हो एवं उक्त बाबत नियम 148 के अनुसरण में नोटिस जारी कर उसका प्रकाशन किया जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों के विपरीत प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में जारी करने हेतु आवंटित आराजियात जो कि त्रुटिवश राजस्व रकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है बाबत विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी के पक्ष में बापी पट्टे जारी किये गये हैं जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपीय पटटे पर सरपंच, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर भी नहीं है। उक्त पट्टा नियमों के विरूद्ध बिना किसी आधार के अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अवैधानिक रूप से जारी पट्टे के आधार पर प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में आवंटनशुदा आराजियात खसरा संख्याा 1524 में से 5 बिस्वा भूमि पर निर्मित कुए को ध्वस्त कर निर्माण कार्य किये जाने पर प्रार्थीगण को आक्षेपित आदेश के बारे में जानकारी हुई जिस पर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी आक्षेपीय बापी पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 4 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं मौका स्थिति की जांच उपरान्त ही आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से ही अप्रार्थी व अन्य वारिसान के पक्ष में आक्षेपित बापी पट्टा जारी किया गया है। आक्षेपीय बापी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता व त्रुटि कारित नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा केवल अप्रार्थी के विरूद्व द्वेषतावश निगरानी पेश की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रामगढ के आराजी खसरा संख्या 1524 कुल रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 5 बिस्वा भूमि का नियमन प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा चाह निर्माण हेतु लीज जारी कर भूमि का कब्जा संभला दिया गया। शेष रही 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत रामगढ के पक्ष में आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर राजस्व रेकॉर्ड में खसरा नबर 1524/4226 अकित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि में श्री घीसा सिंह के पक्ष में 5984, श्री पूरन सिंह के पक्ष में 6500, श्री मोती सिंह के पक्ष में 6500, श्री अगर सिंह के पक्ष में 6500 व श्री लाडू सिंह के पक्ष में 5984 वर्गगज आबादी बापी पट्टे जारी किये गये हैं, जो एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम वकील प्रार्थीगण के इन कथनों से सहमत हैं कि एक परिवार के केवल मुखिया के पक्ष मे बापी पट्टा जारी किया जा सकता है, प्रत्येक सदस्य के पक्ष में नहीं। इस प्रकार ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

विपरीत आक्षेपीय पट्टा जारी किया है। न्यायालय द्वारा मूल रेकॉर्ड चाहे जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा यह अवगत करवाया कि मूल पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत का उक्त कृत्य घोर लापरवाही का प्रतीक है जबकि आक्षेपीय पट्टा एवं इससे सम्बन्धित रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आक्षेपीय पट्टे की आराजियात में से नीहित 1/3 हिस्से का बेचान जरिये बैनामा किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जाता है तथा सचिव ग्राम पंचायत रामगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल पट्टा पत्रावली तलाश कर प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे। मूल पट्टा पत्रावली उपलब्ध नही होने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जावे। जहां तक आक्षेपीय पट्टे की आराजी में से 1/3 हिस्सा भूमि का जरिये पंजीकृत बैनामा बेचान किये जाने का प्रश्न है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने की शक्तियां विचारणीय न्यायालय में नीहित नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय में नीहित है। पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण सक्षम सिविल न्यायालय में पृथक से वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 06.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर